न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी–

अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
03 / अपील / 20	15.01.2020	28.09.2020

1. मुकेश आ0 बाबूलाल जाति बैरवां निवासी वार्ड नं. 6 नैनवां जिला बूंदी
2. सुरेश कुमार आ0 बाबूलाल जाति बैरवां निवासी वार्ड नं. 6 नैनवां जिला बूंदी
3. पप्पू आ0 बाबूलाल जाति बैरवां निवासी वार्ड नं. 6 नैनवां जिला बूंदी

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थितः–

अपीलान्ट की और से श्री प्रहलाद वर्मा एड0
रेस्पो0 की और से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैनवां द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 486 दिनांक 31.10.1977 वाके ग्राम नैनवां तहसील नैनवां से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण का राजस्व रेकार्ड में अमल रोके जाने के आदेश दिये गये है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि पुराना खसरा सं. 774 / 1 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम नैनवां जिसके वर्तमान नये खसरा सं. 1028 है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण के दादाजी श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्री गुल्ला जाति बैरवां निवासी नैनवां एवं उनके भाई के लड़के श्री कंवरलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति बैरवां ने एक वाद अधिकार घोषणा हेतु उपखण्ड अधिकारी,नैंनवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने भूमि खसरा सं. 774 / 1 के संबंध में स्वयं को गैर खातेदार घोषित करने का अनुसंतोष चाहा गया था। विवादित भूमि का मूल खसरा सं. 774 है,जो काफी बड़ा है,जिसमें से 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर माननीय न्यायालय द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर दिनांक 26.09.1975 को दावा डिक्री किया गया। निर्णय की पालना में श्री ग्यारसीलाल व श्री कंवरलाल के खसरा नं. 1028 में से रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी में अंकित कर दी गई तत्समय गैर खातेदार द्वारा लगान भी जमा करवा दिया गया था, किन्तु अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये ही नामान्तरकरण

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

पर यह नोट अंकित कर दिया गया कि चरागाह होने से अमल नही किया गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण के पूर्वजो द्वारा समक्ष राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की पूर्ण सुनवाई कर साक्ष्य के आधार पर कब्जा साबित होने पर गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील समक्ष न्यायालय में तत्समय प्रस्तुत नही की गई है। उपखण्ड अधिकारी महोदय नैनवां का निर्णय दिनांक 26.09.1975 अंतिम निर्णय है,जिसकी पालना में ही अप्रार्थीगण को गैर खातेदार घोषित किया गया था परन्तु तहसीलदार नैनवां द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही नामान्तरकरण पर अवैधानिक नोट अंकित किया है,जिसका उन्हें कोई अधिकार नही था। नामान्तरकरण सं. 486 दि. 31.10.1977 पर अंकित विवादित नोट की जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को पटवारी नैनवां के पास जानकारी करने पर दिनांक 30.12.2019 को हुई तत्पश्चात नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है,जो जानकारी की तिथि से अपील प्रस्तुत करने की तिथि से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। यदि अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो गुजरी अवधि को मुजरा करने हेतु मियाद अधिनियम के तहत अन्तर्गत धारा 5 में प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर नामान्तरकरण सं. 486 दिनांक 31.10.1977 का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने के आदेश प्रदान करें। वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1998 (2)पंजाब लॉ जनरल –0441, एआईआर 2009 (एनओसी)2800 राज., (2019)3 एससीसी191, 2009 (2)एआईआर केएआर आर 368, 2016 (सप्ली.)सिविल कोर्ट केस 0239, 2013 (2) सिविल कोर्ट केसेस 0179, 2017 (3) सिविल कोर्ट केसेज 0860, एआईआर 2009 सुप्रीम कोर्ट केसेज 2577, आरआरडी 1997 पेज 511, आरबीजे 2005 पेज 325 प्रस्तुत किये गये।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार नैनवां द्वारा भूमि चरागाह होने से नामान्तरकरण पर अमल नही किये जाने का नोट अंकित किया गया है। तहसीलदार नैनवां द्वारा नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी नैनवां के निर्णय व डिक्री की पालना में खोला जाकर तस्दीक किया गया था,जिसका अमल तहसीलदार द्वारा दौराने रोटेशन जमाबन्दी भूमि चरागाह होने से रोका गया,जो विधिक रूप से सही है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है,जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से हम पूर्णतया सहमत है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट है कि उपखण्ड अधिकारी नैनवां के न्यायालय में संचित प्रकरण सं. 23/1975 बउनवान ग्यारसीलाल वगै0 बनाम भूमिधारी राज.सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां में उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा दिनांक 26.09.1975 को निर्णय पारित कर आदेश प्रदत्त किये गये कि ग्राम नैनवां के खसरा सं. 774/1 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा पर नियमानुसार संवत् 2020 से लगान वसूल होने पर वादीगण के पक्ष में गैर खातेदारी आसामी की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त आदेश की पालना में

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

तत्पश्चात तहसीलदार नैनवां द्वारा नामान्तरकरण सं. 486 दि. 31.10.1977 तस्दीक किया गया। नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के उपरान्त नामान्तरकरण पर स्केच पेन से एक नोट अंकित किया गया है "चरागाह होने से अमल नही किया गया है" उक्त नोट के समक्ष कोई हस्ताक्षर अंकित नही है यह नोट किस राजस्व कर्मचारी अथवा किस राजस्व अधिकारी द्वारा लगाया गया है तथा किस आदेश की पालना में लगाया गया है, पूर्णतया स्पष्ट प्रतीत नही होता है। यहा यह उद्रित करना भी हम उचित समझते है कि उपखण्ड अधिकारी के यहा विवादित वाद में तहसीलदार नैनवां भी पक्षकार थे,उनके द्वारा ही नामान्तरकरण आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है यदि वह उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.1975 से असन्तुष्ट थे तो समक्ष स्वीकृति उपरान्त उन्हें उक्त आदेश के विरूद्ध अपील करने की स्वतंत्रता थी,परन्तु तत्समय ऐसा नही किया गया।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया जाता हैं कि वह नामान्तकरण पर अंकित नोट के संबंध में समुचित विधिक जांच कर नियमों में निहित प्रावधानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर, बून्दी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)